

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी— सुदर्शन सिंह तोमर

क०सं०	प्रा०पत्रसं०	GCMS NO.	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	21/22	2022/133	23.11.2022	सरकार बनाम विष्णु गुप्ता	07.04.2026	1 लगायत 4

पीठासीन अधिकारी :- सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 21/2022 (2022/133)

उनवान प्रकरण

- वेद प्रकाश पूर्विया (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर। - आवेदक

बनाम

- श्री विष्णु गुप्ता पुत्र श्री सुरेश गुप्ता (विक्रेता एवं प्रोपराईटर) मैसर्स मंगल जनरल स्टोर इन्द्रा बाजार, गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर। - अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/51, 54 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय

दिनांक: 07.04.2026

प्रकरण में तथा इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान शुद्ध के लिये युद्ध के तहत दिनांक 27.07.2022 को दोपहर 01.15 पी.एम पर उक्त संस्थान पर पहुंचा एवं संस्थान का निरीक्षण किया। संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विक्रय हेतु 1-1 किलो थैलियो में पैक कर गॉव का धी (लूज) नाम से काउंटर पर कुल 8 किलो रखा था एवं दुकान में अलग-अलग कम्पनी के ब्राण्ड भी विक्रय हेतु रखे थे। इन थैलियो में पैक धी (लूज) में गुणवत्ता/मिलावट का अनदेशा होने पर वास्ते नमूना जांच 4 थैलिया धी खरीदकर उसकी कीमत 2000/- रुपये विक्रेता को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान भागसिंह (पड़ोसी फर्म) एवं मिश्रीलाल (पड़ोसी फर्म) के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 4 थैलिया धी (लूज) को विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखे प्लास्टिक के डिब्बे दिखाकर उक्त खरीदशुदा धी (लूज) को प्रत्येक डिब्बो में डाला एवं डिब्बो को ढकन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक डिब्बे पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक एच-2368 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग-2 खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. एच-2368 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना भागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियाँ एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री विष्णु गुप्ता (विक्रेता एवं प्रोपराईटर) ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5ए की एक प्रति विष्णु गुप्ता (विक्रेता एवं प्रोपराईटर) को देकर रसीद प्राप्त की। नमूनीकरण के पश्चात संस्थान में मिलावटी धी रखा होने के कारण एवं खाद्य अनुज्ञा पत्र के स्थान पर खाद्य रजिस्ट्र होने के कारण अभिहित अधिकारी को सूचित कर मौखिक निर्देश प्राप्त कर संस्थान को मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर की रिपोर्ट आने तक सीज व सील किया गया। फार्म सं. 5ए एवं फर्द रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. छ: की सात प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर श्री बुद्धिप्रकाश मीणा सहायक कर्मचारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाईमाधोपुर


अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

द्वारा मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीदे प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2022/16 दिनांक 18.08.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/2502/एक्ट/ 2022/ 2544 दिनांक 08.08.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ घी (लूज) सबस्टेण्डर्ड as it does not conform to the prescribed standards of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011- This sample is also Contravenes Regulation No- 2-3-7(2) of Food Safety and Standards (Prohibitions and Restrictions on Sales) Regulation] 2011 due to presence of foreign fat प्रकृति का होना पाया गया है। जाँच रिपोर्ट एवं पत्र न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।


आवेदक द्वारा खाद्य पदार्थ घी (लूज) सबस्टेण्डर्ड as it does not conform to the prescribed standards of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011- This sample is also Contravenes Regulation No- 2-3-7(2) of Food Safety and Standards (Prohibitions and Restrictions on Sales) Regulation] 2011 due to presence of foreign fat प्रकृति का विक्रय/निर्माण करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व धारा 54 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त मय अधिवक्ता उपस्थित होने पर उमय पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी पक्ष ने दौराने बहस निवेदन किया कि खाद्य कारोबारकर्ताओं ने खाद्य पदार्थ घी (लूज) सबस्टेण्डर्ड as it does not conform to the prescribed standards of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011- This sample is also Contravenes Regulation No- 2-3-7(2) of Food Safety and Standards (Prohibitions and Restrictions on Sales) Regulation] 2011 due to presence of foreign fat प्रकृति का विक्रय/निर्माण करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व धारा 54 में निर्धारित है।

अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी जबाबदार एक छोटा दुकानदार है जिसके पास खाद्य पदार्थ विक्रय का लाईसेन्स है। उक्त प्रकरण में सेम्पलिंग की कार्यवाही श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा की गई है जो कि सेम्पलिंग की कार्यवाही करने के लिये सक्षम व्यक्ति नहीं है। उक्त श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा नियमों की अवहेलना की गयी है और गलत तरीके से खाली कागजों पर अभियुक्त के हस्ताक्षरों का दुरुपयोग करते हुये एक कागज को कैश मीमों का रूप दे दिया है। इस तरह भी उक्त कार्यवाही नियमानुसार नहीं होने व सक्षम व्यक्ति द्वारा नहीं होने के कारण अनिस्त किये जाने योग्य है तथा वर्तमान में अभियुक्त द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय नहीं किया जा रहा है। अभियुक्त द्वारा लूज घी का विक्रय बन्द कर दिया गया है। अभियुक्त द्वारा इस प्रकार की पुनर्वर्ति भविष्य में नहीं की जावेगी। साथ ही अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए प्रकरण की कार्यवाही ड्रॉप फरमाने हेतु निवेदन किया है।

हमने उभयपक्षों की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/2502/एक्ट/ 2022/ 2544 दिनांक 08.08.2022 निम्नानुसार है:-


अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

Government of Rajasthan
STATE CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORY JAIPUR, (RAJASTHAN)
Mandir Marg Suthi Colony, Jaipur-302004

FORM-B
Test Report of the Food Analyst
[Refer Regulation (2) of 2.3.11]

Date: 08-08-2022

Report No. L.S. / 2502 / Act / 2022 / 2514

Certified that I Shuchita Agrawal, Food Analyst duly appointed under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), for Rajasthan state received from Sh. Virenderr Kumar Singh, Food Safety Officer O/O Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur a sample of "Ghee" bearing Code number and Serial number H-2368 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur area on 28-07-2022 for analysis.

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows:
The seals were intact and unbroken. The seals tallied with the specimen impression of the seal sent separately by the Food Safety Officer in sealed envelop by hand.

I found the sample to be "Dairy Products and Analogues" falling under Regulation No. 2.1.8 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analysed on 03-08-2022 to 08-08-2022 and the result of its analysis is given below.

Analysis Report:-

Sample description : - Sample is in a sealed and intact wide mouth plastic container.

(2) Physical appearance : - Light yellow coloured semi solid fat. On melting it becomes liquid.

(3) Label : - Loose sample.

Sl. No	Quality Characteristics.	Name of the Method of the test used.	Results.	Prescribed standards as per (a) Food Safety and Standards (Food Products standards and Food additive) Regulations, 2011. (b) As per label declaration for Proprietary food. (c) As per provisions of the Act, Rules and Regulations for both the above.
1.	Butyro refractometer reading at 40.0°C.	FSSAI Manuals of method of analysis of food.	53.9	40.0 to 44.0
2.	Reichert value.	---do---	0.00	Minimum 24.0
3.	Free fatty acid as Oleic acid.	---do---	0.10%	Max. = 2%
4.	Moisture.	---do---	0.03%	Max. = 0.5%.
5.	Iodine value	---do---	85.20	25-38
6.	Saponification value	---do---	205.85	205-235
7.	Pendulsen value	---do---	0.25	0.5 -2.0
8.	Baudouin test.	---do---	Positive	Should be negative.
9.	Test for Mineral oil.	---do---	Negative.	Should be negative.
10.	Added colouring matter.	---do---	Absent.	Absent.
11.	Test for foreign fat	Fatty acid profile by method AOAC 996.06 GC-FID.	Foreign Fat Present (Fatty acid profile of sample does not match with the fatty acid profile of ghee).	Foreign Fat Absent (Fatty acid profile of sample match with the fatty acid profile of ghee)

The Fatty acid profile of product indicates the presence of foreign fat.

Opinion- The sample of "Ghee" bearing Code No. and Sr. No. H-2368 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur is Sub-Standard as it does not conform to the prescribed standards of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011. This sample also Contravenes Regulation No. 2.3.7(2) of Food Safety and Standards (Prohibitions and Restrictions on Sales) Regulation, 2011 due to presence of foreign fat.

Signed this 08th day of August 2022

ADDRESS: DESIGNATED OFFICER CUM
Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur

Copy to, COMMISSIONER OF FOOD SAFETY
Commissionerate of Food Safety and Drug Control,
A-Block, Swasthya Bhawan, Jaipur, Rajasthan.

शुचिता अग्रवाल
Food Analyst
(Authorized Signatory)
SHUCHITA AGRAWAL
FOOD ANALYST, RAJASTHAN
STATE CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORY
JAIPUR, RAJASTHAN
अतिरिक्त अधिकाारी (खाद्य सुरक्षा) एवं
मुख्य प्रतिक्रिया एवं स्वा. अधिकारी
सवाई माधोपुर

उक्त रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ घी (लूज) सबस्टेण्डर्ड
as it does not conform to the prescribed standards of Food Safety and Standards (Food Products

अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगपुर सिटी

Standards and Food Additives) Regulations, 2011- This sample is also Contravenes Regulation No- 2-3-7(2) of Food Safety and Standards (Prohibitions and Restrictions on Sales) Regulation] 2011 due to presence of foreign fat प्रकृति का तदापि गुणावगुण पर सुनवाई उपरान्त सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर प्रकरण इस प्रकार निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अभियुक्त को खाद्य पदार्थ घी (लूज) सबस्टेण्डर्ड as it does not conform to the prescribed standards of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011- This sample is also Contravenes Regulation No- 2-3-7(2) of Food Safety and Standards (Prohibitions and Restrictions on Sales) Regulation] 2011 due to presence of foreign fat प्रकृति का का विक्रय करने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 54 के तहत जुर्माना राशि 10,000 रूपये (अक्षरे-दस हजार रूपये), के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी आदेश तामील दिनांक से एक माह की अवधि में जरिये चालान 0210-04-800-03-00-25% STATE SHARE WHICH RECEIVED AGAINST LICENCE FEE में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली को इसी स्तर पर निस्तारण किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अदम अनुपालना आदेश अभियुक्त सं० 1 के प्रतिष्ठान का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द की जावे तथा साथ ही आयुक्त नगर परिषद् गंगापुर सिटी द्वारा एक माह उपरान्त प्रतिष्ठान सील किये जाने की कार्यवाही की जावे तथा आदेश की तामील तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा करवाई जाकर पालना प्रति न्यायालय में भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 07.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह त्रिभार, RAS)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी